

19.9.24

पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष उपस्थित प्रकरण में उभय पक्ष की बहस सुनी गई प्राचीण का प्रा.पत्र क्र. धा. 1284 R.A का स्वीकार किया जाता है। मौजा सिंहपुर. प. ह. रायता की खाता सं. 199 अ. सं. 573/26 रकबा 0.8100 है. भूमि की पट्टर गढी हेतु तहसीलदार बंगू को 1500 रु कमिशनर शूलक पर कमिशनर नियुक्त किया जाता है। तहसीलदार बंगू को निर्देशित किया जाता है। मौजा सिंहपुर प. ह. रायता की खा. सं. 573/26 रकबा 0.8100 है. भूमि की पट्टर गढी प्राचीण की उपस्थिति में कि जाकर पालना रिपोर्ट पेश करे। पत्रावली में इन अन्य कोई और कार्यवाही शेष नहीं होने से मौसल शुगर होकर नम्बर से काम हो।

५५